



2026:AHC:56080

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्राथना पत्र धारा 482 बीएनएसएस संख्या -

2617 सन् 2026

तौफीक

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: मोहम्मद जमशेद खान

विपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री एम. जे. खान, राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री वी.पी. सिंह, को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
2. वर्तमान आवेदन, मुकदमा अपराध संख्या 283/2025, बी.एन.एस. की धारा 191(2), 191(3), 190, 333, 352, 115(2), 118(2), 109(1) के अंतर्गत, थाना टांडा, जिला रामपुर में, इस प्रार्थना के साथ अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है एवं उसे इस मामले में झूठा फँसाया गया है। यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक को इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 18667/2025 में दिनांक 09.09.2025 को पारित आदेश द्वारा गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया था। यह भी निवेदन किया गया है कि वर्तमान मामले के विरुद्ध एक प्रतिवाद मामला है तथा आवेदक पक्ष के लोगों को भी चोटें आई हैं। यह भी निवेदन किया गया है कि मामले का आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है तथा आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और जब भी जाँच एजेंसी या न्यायालय द्वारा आवश्यक हो, उपस्थित होगा। यह कहा गया है कि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा एवं जाँच में सहयोग करेगा तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।

4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है।

5. आवेदक को इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 18667 /2025 में दिनांक 09.09.2025 को पारित आदेश द्वारा जाँच के दौरान गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया था। अब मामले का आरोप-पत्र दाखिल हो चुका है। आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करने के लिए तत्पर है।

6. यह कहा जा सकता है कि सिद्धाराम सल्लिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एस.सी.सी. 694 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि अग्रिम जमानत याचिका पर न्याय निर्णयन करते समय न्यायालय को आरोपों की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी की न्यायिक प्रक्रिया से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और यह कि न्यायालय को आरोपी के विरुद्ध उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानी से मूल्यांकन करना चाहिए और आरोपी की वास्तविक भूमिका पर भी विचार करना चाहिए।

7. प्रस्तुत प्रकरण में, अग्रिम जमानत के संबंध में विधि के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क, आवेदक की भूमिका तथा प्रकरण की समस्त परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का प्रकरण बनता है।

8. अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

9. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में आवेदक - तौफीक की गिरफ्तारी की दशा में, उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, जिसके लिए वह रु. 50,000/- का व्यक्तिगत बंध-पत्र, दो प्रतिभूतियां प्रत्येक समान राशि की संबंधित न्यायालय के संतोषप्रद पर प्रस्तुत करेगा, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

(i) आवेदक साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा तथा संबंधित न्यायालय द्वारा छूट प्रदान किए जाने के अतिरिक्त, नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति या पुलिस अधिकारियों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई धमकी, वादा या प्रलोभन नहीं देंगे जिससे कि वह ऐसे तथ्य को न्यायालय के समक्ष या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट न करने पर मान जाए;

(iii) आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा तथा जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

10. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष को आवेदक को प्रदत्त अग्रिम जमानत निरस्त करने हेतु उचित आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

18 मार्च, 2026

वीरेन्द्र